

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 669 / 2013
संस्थान दिनांक 31.10.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. पप्पू पिता लक्ष्मण, आयु 23 वर्ष,
2. सुभाष पिता लक्ष्मण, आयु 20 वर्ष,
3. लक्ष्मण पिता नासरा, आयु 55 वर्ष,

सभी निवासीगण- ग्राम सेगवाल,
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 02 / 01 / 2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 222 / 2013 अंतर्गत धारा 294, 323, 325 452 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 31.10.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 13.10.2013 को शाम लगभग 7:30 बजे, ग्राम सेगवाल में फरियादी के घर पर फरियादी दिलीप यादव के मकान में जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा एवं मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में फरियादी दिलीप यादव को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 452 सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्तों को जानते हैं। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि दिनांक 14.11.2014 को फरियादी दिलीप एवं दुर्गाबाई व अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तों को धारा 294, 323, 325 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादीगण के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 452 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 13.10.2013 को फरियादी दिलीप यादव गाँव के राजेन्द्र यादव के पास रावण की तैयारी कर रहा था कि शाम लगभग 7:00 बजे फरियादी की पत्नी ने मोबाईल पर बताया कि उसके पड़ोस का पप्पु, सुभाष एवं लक्ष्मण तीनों हकम की बहू दुर्गाबाई से देवर आशीष का अवैध संबंध होने की शंका को लेकर माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दे रहे हैं, तब उसने एवं सास दुर्गाबाई ने अभियुक्तों द्वारा गॉलिया देने से मना किया, इस पर से अभियुक्त सुभाष घर में घुसा व सास को हाथ में लिया मुसला मारा जो बायें हाथ की कलाई में लगा, तभी फरियादी घर आ रहा था, तब अभियुक्त पप्पु ने हाथ में लिया लट्ठ मारा जो फरियादी को दाहिने ओर सिर में लगा। पुलिस ने फरियादी दिलीप यादव द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 222/2013 अंतर्गत धारा 294, 323, 452 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी आशीष यादव की निशांदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त पप्पु से एक बांस की लकड़ी एवं अभियुक्त सुभाष से मुसला साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त पप्पु, सुभाष एवं लक्ष्मण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये थे तथा पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादी दिलीप व साक्षीगण दुर्गाबाई, आशीष, प्रमीलाबाई, राजेन्द्र, भागीरथ, दिनेश, एवं सुखदेव के कथन लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 294, 323, 325, 452 सहपठित धारा 34 भादस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323, 325, 452 सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय यह है कि —

क्या अभियुक्तों ने दिनांक 13.10.2013 को शाम लगभग 7:30 बजे, ग्राम सेगवाल में फरियादी के घर पर फरियादी दिलीप यादव के मकान में जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा एवं मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में फरियादी दिलीप यादव को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में फरियादी दिलीप (अ.सा.1), दुर्गाबाई (अ.सा.2) एवं उपनिरीक्षक आर.एस. गणावा (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं,

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी दिलीप (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया कि घटना 1 वर्ष पूर्व शाम 7 बजे की है। वह घर पर रावण बना रहा था, उसकी पत्नी प्रमिला ने फोन पर बताया कि अभियुक्तगण घर आकर अश्लील गॉलिया दे रहे हैं, वह घटनास्थल गया, वह घर जा रहा था, तब अभियुक्त सुभाष ने लकड़ी की मुसल मार दी थी, अभियुक्तों ने उसकी माता दुर्गाबाई के साथ भी मारपीट की थी। अभियुक्तों ने घर के बाहर आम रोड पर विवाद किया था। उसने पुलिस थाना ठीकरी पर प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे एवं उसकी माता दुर्गाबाई को चिकित्सा हेतु चिकित्सालय भेजा। इस साक्षी को सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों द्वारा घर के अंदर घुसकर मारपीट करने की बात बताई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसका अभियुक्तों से राजीनामा हो गया है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने से वह असत्य कथन कर रहा है।

8. दुर्गाबाई अ.सा.2 ने भी उसके एव उसके पुत्र एवं बहू के साथ मारपीट एवं गाली-गलोच करने के संबंध में कथन किये हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की घटना कारित की थी। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्शपी 3 में भी अभियुक्तों द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने की बात से स्पष्ट इंकार किया है।

9. उपनिरीक्षक पुलिस आर.एस. गणावा अ.सा.3 ने दिनांक 13.10.2013 को फरियादी दिलीप पिता लक्ष्मण की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 222/13 प्रदर्शपी 1 का दर्ज करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट मन से लेखबद्ध की थी या वह असत्य कथन कर रहा है।

10. प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण किसी भी साक्षी के कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के फरियादी व साक्षियों ने अभियुक्तों से राजीनामा किया है तथा अभियुक्तों द्वारा उनके घर में घुसकर उपहति कारित करने की तैयारी के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये है तो ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 452 का अपराध अभियुक्तों के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

11. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त पप्पु, सुभाष एवं लक्ष्मण के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव उक्त अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 452 भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लकड़ी एवं एक धावड़े का धान कुटने का मुसला मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड़ (म0प्र0)**

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- दिलीप पिता नन्दू आयु 27 वर्ष,
निवासी- ग्राम बरूफाटक, तहसील ठीकरी
जिला-बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 20.05.2012

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- निरंक

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड़ (म0प्र0)**

/// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ///
न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 29.11.2014 तक

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस
ठीकरी विरुद्ध सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र
निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- सुनिल उर्फ गोलू पिता सुभाष, आयु 20 वर्ष
निवासी- ग्राम बरूफाटक, तहसील ठीकरी
जिला-बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 20.05.2012

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- 29.10.2014 से निरंतर

इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में
कुल 31 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0